Indian e-Journal on Teacher Education (IEJTE)
Bi-Monthly e-Journal (Peer Reviewed)
ISSN 2320 –7566

नई शिक्षानीति में भारतीय भाषाएं व रामधारी सिंह दिनकर की वैचारिकी

श्रीमती प्रमिला पटेल

शोधार्थी
शोध केंद्र - कल्याण स्नाकोत्तर महाविद्यालय, से.7, भिलाई
विश्वविद्यालय- हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

==========

प्रस्तावना

भारत एक विकसित और समृद्धशाली देश है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएँ व बोलियां बोली जाती है जिसकी अपनी एक समृद्ध परंपरा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की ही नहीं अपितु विश्व की समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है। भारत में आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रारंभिक काल दसवीं शताब्दी से माना जाता है जिसका विकास प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। वर्तमान समय में भारत मेंसबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है।

बिहार,उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश,राजस्थान,हरियाणा,हिमाचलप्रदेश,दिल्ली को हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है। जिसमें हिंदी की अनेक बोलियां बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेली,बिहार में मगही व भोजपुरी, उत्तर प्रदेश में अवधि और ब्रज राजस्थान में मेवाड़ी जयपुरी हरियाणा व दिल्ली में हरियाणवी व खड़ी बोली, हिमाचल प्रदेश में खास और पहाड़ी बोलियां बोली जाती है। इन भारतीय भाषाओं के विकास में विभिन्न साहित्यिक विद्वानों की साहित्यिक रचनाओं का विशेष योगदान रहा है जिसमें दिनकर जी का मानना था कि यह भारतीय भाषाएं भारत की अनेकता में एकता की पहचान है जो इतनी भाषाओं में विभिन्नता लिए हुए भी देश में समानता का संदेश देती है। इन भारतीय भाषाओं की समृद्धि को और अधिक बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात कई प्रयास किए गए हैं तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई है इसके संबंध में हम इस प्रकार विचार कर सकते हैं ।

स्वतंत्रता से पूर्व व स्वतंत्रता के पश्चात् भाषायी स्थिति :-

स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी आक्रांताओं के कारण भाषा भारतीय भाषाओं की स्थिति अत्यंत हो गई थी अंग्रेजों के आगमन से संपूर्ण भारत में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो गया। अंग्रेज अपनी सत्ता को स्थापित करने हेतु संपूर्ण प्रशासनिक कार्यो मेंअंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे थे। तथा अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया गया। परंतु 1857 की क्रांति के पश्चात् भारतीय जनता जागरूक हो गई व कई वर्षों के संघर्षो के बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान के निर्माण में भाषा को अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया।

परंतु एक एक प्रशासनिक कार्य संचालन हेतु अंग्रेजी छोड़ हिंदी का प्रयोग करना संभव नहीं है इसलिए अंग्रेजी को अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ रख कार्य किया जाना स्वीकार किया गया यह माना गया की हिंदी 15 वर्षों में अपने

को राजभाषा के लिए सक्षम बना लगी। क्योंकि भारत देश बहुभाषिक देश रहा है इसलिए बहुभाषिक देश में किसी एक भाषा को सभी अन्य भाषाओं से अधिक महत्व दिया जाना अन्य भाषा भाषियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

"अहिंदी भाषी क्षेत्रों में फैलाया गया यह भय बेबुनियाद नहीं था कि हिंदी की अनिवार्यता से हिंदी भाषी,अहिंदी भाषी लोगों से नौकरियों में आगे निकल जाएंगे बल्कि इसके पीछे तत्कालीन सरकार द्वारा दिया गया नारा था की अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी।"

हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने पर दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जाने लगा इस विरोध पूर्ण आंदोलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल की गई थी जिसमें 21 वे संशोधन के अंतर्गत 1967 द्वारा सिंधी भाषा को भी साथ में जोड़ा गया सन 1992 में 71वें संशोधन में नेपाली कोंकणी और मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया तथा सन 2003 के 92 संशोधन में बोडो मैथिली डोंगरी और संथाली भाषा को भी शामिल किया गया। इस प्रकार अभी तक भारत की कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से शामिल करने की स्वीकृति दी गई। और आने वाले समय में भारत की कुल 38 भाषाओं को भी शामिल किया जाने हेतु प्रयासरत हैं।

भारतीय भाषाओं के संबंध में 'दिनकरजी' की वैचारिकी

भारतीय भाषाओं के विकास में साहित्य की भूमिका अहम रही है। आजादी से पूर्व और आजादी के पक्ष साहित्य ने समय-समय पर भाषा को गौरवित और समृद्ध बनाया है। विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से भारतीय भाषा के विकास वह व प्रचार-प्रसार के साथ-साथ जन मानस को हिंदी की भाषा के प्रति जागृत किया है, । हिंदी साहित्य के जगत में भाषा के विकास से संबंधित दिनकर जी की रचनाओं का भी विशेष महत्व रहा है।दिनकर जी की रचना 'संस्कृत के चार अध्याय' 'संस्कृति भाषा और राष्ट्र'आदि की रचनाओं में भाषा को लेकर वे गंभीर चिंतनदृष्टि व्यक्त की है। दिनकर जी का मानना है -

"प्रत्येक प्राचीन जाति का संस्कार,उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी अपनी भाषा में बसते हैं। भाषा की आत्मा और भाषा के सूक्ष्म संस्कारों का निवास संस्कृत में है तथा भारत के सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से ही माना जाता है। और आज भी उनका उपजीवी यही भाषा है भारत की आधुनिक भाषाओं में एक नए शब्द बनाने की शक्ति समाप्त है अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है उसके सामने संस्कृत की ओर जाने के सिवा और कोई रह नहीं है इसे संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं क्योंकि उनके शब्द एक हैं उनकी तर्ज भंगिमा और अदाएं एक हैं तथा वह एक ही सपने का आख्यान अलग-अलग लिपियों में करती है।"

उत्तर व द्रविड भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई है। यह भी परस्पर भिन्न है किंतु संस्कृत में हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्र में समझ ली जाती है। तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भी प्राचीन तमिल से ही निकली है। लेकिन द्रविड क्षेत्र में उस परिवार की कोई भी भाषा उत्पन्न नहीं हुई जो चारों भाषा क्षेत्रों में समझी जा सके। उत्तर भारत की एक विलक्षणता यह भी है कि वहां सभी भाषाएं किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषाएं हैं केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो

सही मायने में किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है। किसी भी जाति का विनाश तभी होता है जब वे अपनी भाषा संस्कृति व परंपराओं को भूलकर दूसरे की भाषा संस्कृति व परंपराओं को अपना लेते हैं और इसका भयानक रूप तब सामनेआता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि वह समाज अपनी वास्तविक पहचान को खो देती है और दिनकर जी ने 23 मई 1954 को गुजरात सौराष्ट्र कच्छ प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के भावनगर में आयोजित सत्र में अपनी भाषण में कहा था कि -

"संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद, पुराण उपनिषद्, रामायण और महाभारत यह सभी वे घाट हैं जहां पर हमारी सारी भाषाएं पानी पी हैं। भाषा मूक भी होती है भाषा संकेत को भी कहते हैं और भाषा के इन रूपों को सभी लोग एक समान समझ भी लेते हैं अतएव मुख्य वस्तु भाषा नहीं भाव है ।"

अर्थात् वही भाषा सर्वोत्तम है जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरे के भाव और विचारों को समझ सके वही भाषा श्रेष्ठ होती है।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

"शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम होती है। ऐसे में शिक्षा में असमानता राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। जिसको एक समान पाठ्यक्रम अपना कर दूर किया जा सकता है। अतः नई शिक्षा नीति का महत्व बढ़ जाता है।" 'दुलीचंद काली रमन'

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु सन 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई,क्योंकि शिक्षा वह माध्यम है जो मानवी जीवन के भविष्य का निर्माण करती है पूर्ण ग्राम इस भविष्य निर्माण में भाषा का विशेष महत्व होता है इसलिए भारतीय सरकार ने द्वारा सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीति के तहत कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं जिसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान रखा गया की सभी भारतीय भाषाओं का विकास और प्रचार प्रसार हो। इसलिए संस्कृत,हिंदी,उर्दू,फारसी,अरबी,सिंधी और अन्य भाषाओं के विकास और प्रचार प्रसार हेतु अलग-अलग संगठनों का निर्माण किया गया है।तथा कई दशकों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई । इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं जिसमें यह प्रावधान है कि कम से कम पांचवी कक्षा तक के सभी बच्चों की पढ़ाई का माध्यम उसकी अपनी मातृभाषा या अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराई जानी चाहिए। इसके द्वारा सरकार का उद्देश्य बच्चों को सभी भारतीय भाषाओं से जोड़ना है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है जिसे पाठ्यक्रम में एक विषय के तौर पर रखा गया है। साथ ही अंग्रेजी भाषा को भी विषय के रूप में रखा गया है। इस नीति का एक लक्ष्य यह भी है कि सन् 2035 तक 50% बच्चों उच्च शिक्षा में दाखिला ले सकें। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों और युवाओं की जरूरत को देखते हुए मल्टीप्ल एंट्री एग्जिट सिस्टम का प्रावधान रखा गया है ताकि कोई भी विद्यार्थी अगर किसी कारण से अपना अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो उसे प्रथम वर्ष के बाद सर्टिफिकेट द्वितीय वर्ष के बाद डिप्लोमा तथा तृतीय या चतुर्थ वर्ष के पश्चात डिग्री प्रदान की जा सके। यदि कोई छात्र एक निश्चित समय के पश्चात अपना अध्ययन पुनः आरंभ करना चाहता है तो वह अपनी शिक्षा को लगातार जारी रख सकता है। इसके साथ ही इस नीति में कौशल विकास पर भी जोड़ दिया गया है पूर्व में व्यावसायिक शिक्षा नवी से प्रारंभ होती थी परंतु इस नीति में कक्षा छठवीं से ही व्यावसायिक शिक्षा

आरंभ की जा सकेगी ताकि वह छात्र माध्यम में स्तर तक अपने रोजगार हेतु कुशलता प्राप्त कर सके। इस नीति के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक विकास के नियमों को में भी परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत शिक्षकों को वर्ष भर में 50 घंटे नियमित प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है ताकि इस नई तकनीकियों के द्वारा वह शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी शिक्षक में सुधार कर सके।

उपसंहार

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एक राष्ट्र के विकास का सशक्त माध्यम भाषा है। भारत देश एक बहुभाषिक देश रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान और गौरव जरूरी है। लोकतंत्र की सशक्तता व प्रगतिशीलता के लिए सभी भारतीय भाषाओं को समृद्धशाली बनाना और आगे बढ़ाना है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा व जागरुक होकर सभी भारतीय भाषाओं काविकास व सम्मान करें। क्योंकि भाषा की उन्नति में ही देश की उन्नति है।

ग्रंथसूची:-

- 'दिनकर',सिंह,रामधारी,संस्कृति के चार अध्याय,उदयाचल लोकभारती प्रकाशन उनतीसवा संस्करण 2023,पृष्ठ-53
- 'दिनकर',सिंह,रामधारी संस्कृति के चार अध्याय,उदयाचल लोकभारती प्रकाशनउनतीसवा संस्करण 2023, पृष्ठ-52
- 'प्रभाकर',डाॅ.प्रभात कुमार, दिनकर समय का सूर्य,विनय प्रकाशन,प्रथम संस्करण 2021,कानपुर पष्ठ-74।
- उपाध्याय,डॉ.वेद प्रकाश, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय संचेतना,अनुराग प्रकाशन,वाराणसी,प्रथम संस्करण 2014।
- https://shikshansanshodhan.researchculturesocie
- https://www.swadeshionline.in
- https://wwwswadeshionline.in
- https://wwwhaahaakar.blogspot.com